



# सम्पादकीय

# न्यायः उम्मीद की किरण है मानवाधिकार आयोग

मानवाधिकार आयोग ने तीन दशक के अपने सफर में स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा की है, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती।

विषम परिस्थितियों में न्याय मांगते लोग जब अपने पीछे किसी ऐसे स्तंभ का हाथ देखते हैं, जो उनके हित की लड़ाई में सहयोगी बन बैठा हो, तो उनके अंधेरे जीवन में एक रोशनी-सी आ जाती है, और वे उम्मीद से अपने होने का पुनः एहसास करने लगते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस दिशा में वर्ष 1993 से ऐसी पहल करते हुए देश की जनता के साथ है, जिसके लिए आयोग की तारीफ की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई और 24 जून, 1993 को ही आयोग ने जमाल अफगानी के मामले को स्वतः संज्ञान में लिया। उन दिनों आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा

थे। वह आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्ष 1993 से अब तक मानवाधिकार आयोग ने 2,685 मामले स्वतः संज्ञान में लिए हैं, जो कि उदाहरणीय संख्या है। आयोग की ओर से साल 2023 में ही स्वतः संज्ञान मामलों की संख्या 25 है। इन सभी मामलों को संज्ञान में लाने में सामान्य जन, अखबार, रैपोर्टियर (दूत), टीवी और दूसरे महत्वपूर्ण लोग हैं। किंतु खबरें चला दी जाएं या प्रकाशित कर दी जाएं, या चिट्ठी लिख दी जाएं या रिपोर्ट कर दिया जाए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आयोग ने उसे स्वीकार किया या आयोग ने स्वतः सूत्रों से उन विषयों को अपने दिमाग का हिस्सा बनाया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

मानवाधिकार आयोग की सक्रियता इससे प्रकट होती है। अब तक आयोग के सामने जितने भी मामले आए, उनकी संख्या 21 लाख 85 हजार 76 है, उनमें से 21 लाख 71 हजार 690 का निस्तारण किया गया है। आयोग निस्संदेह एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। भले ही लोग सवाल करें कि आयोग करता क्या है? बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान के दायरे में रहकर इससे पोषित स्वायत्त संस्थाओं से यह आशा की थी कि वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करके सामाजिक न्याय की संकल्पना को मजबूत बनाएंगी।

मानवाधिकार आयोग ने निस्संदेह इस दिशा में आगे बढ़कर संविधान का सम्मान किया है और अपनी स्वतः संज्ञान जैसी पहल से सबके भीतर स्थान बनाया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा अपने दो माननीय सदस्य सहयोगियों डॉ. ज्ञानेश्वर मनोहर मुले और राजीव जैन के साथ नेतृत्व करते हुए आयोग की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। स्वतः संज्ञान के मामले में आयोग की मंशा साफ़ झलकती है कि वह मानवीय संवेदनाओं के प्रति बहुत ही गहरे जुड़ा हुआ है।

अभी 2023 की शुरुआत ही है, और आयोग की 25 मासले स्वतः संज्ञान के दायरे में लाकर न्याय करने की पहल वास्तव में हमें उम्मेद से भर देती है। भारत की जनता ऐसी पहल को अपने कवच के रूप में देखे तो कोई अतिशायोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी।

दुनिया में ऐसी स्वतः संज्ञान की एक लंबी परंपरा न्याय-तंत्र में है। हाल के समय में रोहिंग्या मामले हों या अफगानिस्तान में महिलाओं के ऊपर प्रतिबंधों का मामला हो, या फिर क्यों न यूक्रेन युद्ध के ही हताहत लोगों के मामले हों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने कई बार स्वतः संज्ञान लिया है, और अपने विशेष दूत के माध्यम से ऐसी अनेक पहल करने की कोशिश की है। इस प्रकार के मामले यदि स्वतः संज्ञान में लेकर नहीं निपटाए जाएंगे, तो मानवता पीड़ा में ही रहने को मजबूर हो जाएगी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इसलिए इस दिशा में सकारात्मक और सक्रिय भूमिका निराश लोगों के जीवन में आशा का दीप प्रज्ज्वलित कर रही है।

केवल आयोग ही क्यों जागरूक हो, समाज की भी जिम्मेदारी है कि वह ऐसे मामलों को आयोग के संज्ञान में लाए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। जब दुनिया के अनेक देशों में स्थापित एनएचआरसी कुछ ज्यादा परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, और उनके यहां मानवाधिकारों के हनन की निरंतरता बनी हुई है, तो ऐसे समय में, निस्संदेह भारत के 75 वर्षीय लोकतंत्र की महान यात्रा में एनएचआरसी के अब तक के स्वतः संज्ञान के मामले न्याय के प्रति आश्वस्त करते हैं।

ये लेखक के अपने विचार हैं।

## डीएम व एसपी द्वारा थाना जफराबाद में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन

जौनपुर सू.वि. : शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा के द्वारा थाना जफराबाद में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने सभी कानूनगों और लेखपालों को अवैध कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं और निर्देशित किया कि थाना दिवस पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण संवेदना पूर्वक और गुणवत्तापूर्ण शतप्रतिशत निस्तारण शीघ्र करे। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में पुलिस की टीम के द्वारा अकेले जांच की गई थी उन शिकायतों को राजस्व की टीम भी भेजकर निस्तारण कराया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा थाना समाधान दिवस रजिस्टर का भी अवलोकन किया गया। जिसमें उन्होंने पाया कि टीम के द्वारा प्राप्त शिकायतों का सही प्रकार से निस्तारण किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी गरीब, असहाय के पट्टे तथा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा न होने दें और अवैध रूप से कब्जा करने तथा प्रताड़ित करने वाले भूमाफियों के खिलाफ एंटी

**भूमाफिया एकट क अन्तर्गत एफआइआर दज करते हुए कायवाई करें।**  
**मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह का**  
**आगमन आदीला ऐनान परिपालन में जांच**

जैनपुर सू.वि. : समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समारोह का आयोजन रामलीला मैदान, मड़ियाहूं में किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में माननीय सांसद मछलीशहर बी.पी सरोज, मा० विधायक मड़ियाहूं डॉ.आर.के पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, मुख्य विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। जिला समाज कल्याण अधिकारी शशि शेखर सिंह के द्वारा बताया गया कि सामूहिक विवाह समारोह में कुल लगभग 251 जोड़ों का वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ विधि विधान से विवाह संस्पन्न कराया गया जिनमें से 03 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी सम्पन्न कराया गया। जिलाधिकारी ने कहा यह कि शासन की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गरीब बेटे – बेटियों का घर बसाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है की शादी में सांसद, विधायक एवं अधिकारीगण सम्मिलित हो रहे हैं और वर वधु को आशीर्वाद दे रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी नवविवाहित जोड़ों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इच्छुक पात्र व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अगले सामूहिक विवाह समारोह में लाभ ले सकते हैं। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मड़ियाहूं लाल बहादुर, पी.डी जयकेश त्रिपाठी, जिला सेवायोजन अधिकारी राजीव कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी मड़ियाहूं सहित अन्य अधिक

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक उत्तर रेलवे नई दिल्ली द्वारा वाराणसी जं (कैट) स्टेशन का किया गया निरीक्षण

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਔਰ ਮੇਸ਼ਸ ਡੀਸੀਏਮ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ  
ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਸਾਇਨ ਕਿਯਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਪਨ

मिलेगा तथा किसानों को समय पर गन्ना की खेती करने हेतु बैंक से सही समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

## र लखनऊ व्यापार मंडल के ज्ञापन महमति बनी —अमर नाथ मिश्र

कारी के माध्यम से वित्त मंत्री को भेजने की सहमति बनी है। अतिक्रमण जैसी समस्याएँ पर सभी व्यापारियों से वीडियो बनाकर लाने को कहा जिसप्रोजेक्टर के माध्यम से चलाया जाएगा सम्बंधित।

त अधिकारी से जवाब माँगा जा सके। सभी व्यापारियों ने धन्यवाद दिया। बैठक में मुख्य रूप से अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा महामंत्री विनोद अग्रवाल अनुराग मिश्र उमेश शर्मा कोषाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता युवा अध्यक्ष मनीष गुप्ता उपाध्यक्ष सुमित गुप्ता प्रमोद अवस्थी आदि व्यापारी उपस्थित रहे।

## (वेभाग) डॉ संजय कुमार निषाद य का किया औचक निरीक्षण

उन्होंने तत्काल कुछ देर बाद मौके पर पहुँचे उपनिदेशक मत्स्य(मुख्यालय) को निदेशालय के खस्ताहाल की रिपोर्ट तैयार

कर एक हफ्ते के भीतर पेश करने का आदेश भी दिया। श्री निषाद जी ने है मत्स्य रजनीश दुबे फोन पर वार्ता कर औचक निरीक्षण पर पाई गई खामियों की वृत्ततृत रिपोर्ट मांगी साथ ही अनुपरिस्थिति सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाही के साथ “क्यों ना आपका वेतन काट लिया जाए?” कारण बताओ नोटिस अथवा स्पष्टीकरण के साथ कड़ी कार्रवाही के भी निर्देश दिये।

## टीएम योगी करेंगे अंकुर उद्योग एस्टील प्लांट का उद्घाटन

में गा प्लस श्रेणी की इस परियोजना की डिजाइनिंग देश के अग्रणी स्टील इंडस्ट्री सलाहकार और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की गई है। इसकी स्थापना में अत्यधिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। अंकुर उद्योग लिमिटेड ने डेढ़ किमी ट्रैक की लंबाई में प्राइवेट रेलवे साइडिंग विकसित किया है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से कच्चा माल मंगाने के लिए फैक्ट्री परिसर में 700 मीटर की लंबाई में अनलोडिंग प्लेटफार्म भी बनाया गया है। यहां टीएमएक्स बार का उत्पादन हो रहा है जो टीएमटी का बदला हुआ और बेहतर रूप है। अंकुर उद्योग समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अशोक जालान का कहना है कि फैक्ट्री संचालन के लिए ऊर्जा की सम्पूर्ण जरूरत यहीं के कैप्टिव पॉवर प्लांट से पूरी हो रही है।

खास बात यह है कि ऊर्जा उत्पादन का 65 फीसद हिस्सा फैक्ट्री के ही ‘वेर्स्ट’ से ही मिल रहा है। अल्ट्रा मॉर्डन स्टेट ऑफ आर्ट प्रौद्योगिकी से यहां टीएमएक्स रिबार्स का निर्माण किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में स्पंज आयरन प्लांट की क्षमता 212500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, स्टील मेल्ट शॉप पर

मीट्रिक टन तथा सरिया रोलिंग मिल की क्षमता 291300 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। अशोक जालान का मानना है कि योगी सरकार ने निवेशकों की सुरक्षा, प्रोत्साहन सुविधा व सहूलियत के लिए कार्रवाई कर रखी है। उसका परिणाम भी धरातल पर नजर आ रहा है। एक दौर तक सिर्फ एमसीआर में निवेश होते थे, सरकार की इन्वेस्टर्स फ्रेंडली नीतियों से आज हर जिले में निवेश हो रहा है। गीड़ा में दिखेगी भारी उद्योगों की लंबी शृंखला गीड़ा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल कहते हैं कि शासन की उद्योग मित्रता नीतियों व पारदर्शी व्यवस्था से उद्यमियों को काफी प्रोत्साहन मिला है।

गीड़ा में गैलेंट प्लांट ने स्टील प्लांट के सीमेंट प्लांट भी संचालित किया है तो अब अंकुर उद्योग समूह ने इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का संचालन शुरू किया है। अंकुर उद्योग समूह ने जीआईएस में 700 करोड़ रुपये से उद्योग विस्तार का भी प्रस्ताव दिया है। जीआईएस में हैवी इंडस्ट्री के काफी प्रस्ताव मिले हैं। आने वाले समय में गीड़ा में भारी उद्योगों की लंबी शृंखला



